21st meeting of Central Monitoring Committee in the NGT Matter OA No. 673 of 2018 के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांकः 19.02.22026 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थितिः–

1. श्री अखिलेश मिश्रा, उप सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. श्री एस॰पी॰सुबुद्धि, निदेशक, राज्य पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय, देहरादून।
3. डॉ॰पराग मधुकर धकाते, सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
4. श्री डी॰के॰सिंह, सी॰जी॰एम॰,उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
5. श्री जी॰पी॰सिंह, महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल।
6. श्री गौरव चमोली, एस॰डब्ल्यू॰एम।
7. श्री सुशील भट्ट, ए॰ई॰सिडकुल, देहरादून।
8. श्री एस॰धीमान, उप निदेशक, उत्तराखण्ड जल संस्थान नि॰लि॰, देहरादून।

बैठक में प्रश्नगत मूल आवेदन संख्या–673/2018 दिनांक 17.09.2018 के समाचार पत्र 'द हिन्दू' के शीर्षक 'जैकब कोशी' में प्रकाशित खबर ''अधिक नदी क्षेत्र अत गम्भीर रूप से प्रदूषित हैं, सी.पी.सी.बी.'' में देश में चिन्हित 351 प्रदूषित नदी खण्डों के पुनरूद्धार के लिए उपचारात्मक कार्यवाही किये जाने के संबंध में राज्य के प्रदूषित नदी स्ट्रेच की वर्तमान स्थिति एवं अनुपालन की समीक्षा की गयी। तद्उपरान्त अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु निम्नलिखित निर्णय लिये गयेः–

1– समिति द्वारा मा॰एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 20.09.2018 में मा॰ एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेशों में प्रदूषित नदी स्ट्रेच में मानकों के अनुपालन व कार्ययोजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति हेतु पर्यावरण सर्वेक्षण टास्क फोर्स का गठन किया जाये। उक्त बिन्दु पर समिति के समक्ष यह तथ्य लाया गया कि पूर्व में ही खनन विभाग द्वारा अवैध खनन की रोकथाम हेतु टास्क फोर्स का गठन किया गया है। क्योंकि उक्त आदेशित टास्क फोर्स के कार्य को अवैध खनन के साथ भी जोड़ा गया है। अतः निर्णय लिया गया कि खनन विभाग द्वारा बनायी गई टास्क फोर्स के माध्यम से, यदि अन्य सदस्यों को नामित करने की आवश्यकता हो तो उनको जोड़ते हुए, उक्त खनन विभाग की टास्क फोर्स को ही प्रदूषित नदी स्ट्रेच के मानकों के अनुपालन व कार्ययोजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व दिया जा सकता है। उक्त हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उत्तराखण्ड शासन को 07 कार्य दिवसों में प्रस्ताव उपलब्ध करायेगा।

(कार्यवाहीः–उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

2– सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की समीक्षा के उपरान्त कल्याणी नदी स्ट्रेच हेतु बनायी गई डी.पी.आर. पर भारत सरकार से अनुमोदन की कार्यवाही में सम्बन्धित विभाग द्वारा फॉलोअप की कार्यवाही करते हुए

अग्रेतर कार्य प्रारम्भ किया जाये। सुसवा नदी स्ट्रेच हेतु सपेरा बस्ती, देहरादून में बन चुके सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट को मार्च 2026 तक पूर्ण रूप से संचालित किया जाये।

(कार्यवाहीः–उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम)

3– समीक्षा के दौरान पाया गया कि भीमताल में पूर्व निर्मित सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट वर्तमान में पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप संचालित नहीं हो रहा है। मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा कि उक्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट निर्माण हुए लगभग 25 वर्ष हो गये हैं जो कि पुरानी तकनीकी के आधार पर निर्मित था जो कि BOD लेवल 300 mg/ltr पर निर्मित था, जिसके कारण वर्तमान में मानकों के अनुरूप नहीं आ पा रहा है। अतः इस ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की तकनीकी एवं क्षमता अपग्रेडेशन की आवश्यकता है। बैठक में निर्देशित किया गया कि अपग्रेडेशन की कार्यवाही अतिशीघ्र प्रारम्भ करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाहीः– उत्तराखण्ड जल संस्थान)

4– समीक्षा के दौरान पाया गया कि वर्तमान में प्रदूषित नदी स्ट्रेचिज़ पर संचालित सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्टस् द्वारा अपनी क्षमता के 68 प्रतिशत ही उपयोग में लाया जा रहा है, जिसमें से जनपद चमोली में मात्र 27प्रतिशत, देहरादून में 42 प्रतिशत एवं पिथौरागढ़ में मात्र 47प्रतिशत उपयोग में लाये जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि सचिव, पेयजल, उत्तराखण्ड शासन को जल अधिनियम, 1974 के अंतर्गत सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट्स की अधिकतम क्षमता उपयोग हेतु विस्तृत प्लान व की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में अवगत कराने के निर्देश निर्गत किये जायें।

(कार्यवाहीः– उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

5– सीवेज के शोधित जल गुणवत्ता डेटा में पाए गए अंतर एवं सम्बन्धित त्रुटियों को दृष्टिगत रखते हुए समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रत्येक सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट पर एक स्थायी सैम्पलिंग प्वाइन्ट (Permanent Sampling Point) स्थापित किया जाए। इससे सैम्पलिंग के दौरान होने वाली त्रुटियों को न्यूनतम किया जा सकेगा तथा डेटा की विश्वसनीयता सुनिश्चित होगी। यह भी निर्देशित किया गया कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट की क्षमता के भेद के बिना, प्रत्येक STP पर शोधित सीवेज की गुणवत्ता के नियमित अनुश्रवण हेतु Real Time Monitoring System स्थापित किया जाए। इस व्यवस्था के माध्यम से शोधित जल के गुणवत्ता पैरामीटरों की निरन्तर मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जायेगी।

कार्यवाहीः–उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, उत्तराखण्ड जल संस्थान

6– समीक्षा के दौरान पाया गया कि Flood Zone की कार्यवाही सिंचाई विभाग द्वारा की जा रही है। बैठक में सिंचाई विभाग के प्रतिनिधि को उपलब्ध रहने हेतु उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से किये गये पत्राचार के उपरान्त भी उनकी अनुपस्थिति में असंतोष व्यक्त किया गया तथा भविष्य में संचाई विभाग को बैठकों में उपस्थित रहने हेतु निर्देशित करते हुए Polluted River Stretch में Flood Plain Zone के निर्धारण पर की गई कार्यवाही की अद्यतन प्रगति से 07 दिनों में उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण

बोर्ड को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाहीः–मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग)

7– Polluted River Stretch पर स्थिति उद्योगों से उत्सर्जित जल की गुणवत्ता एवं उद्योगों की निरंतर अनुश्रवण करने हेतु पर्यावरणीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(कार्यवाहीः– उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

अंत में बैठक सभी सदस्यों का धन्यवाद करते हुए समाप्त की गई।

Digitally signed by MUKESH KUMAR RAI
Date: 25-02-2026 16:13:20

(मुकेश कुमार राय)
अपर मुख्य सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग
संख्याः–374492/ई फाईल –18043
देहरादूनः दिनांकः 25 फरवरी 2026

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, राज्य पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय, देहरादून।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कैम्पा परियोजना, उत्तराखण्ड।
3. प्रबंध निदेशक, जल निगम, उत्तराखण्ड।
4. प्रबंध निदेशक, सिडकुल, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, एस0पी0एस0जी0(नमामी गंगे), उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड।
8. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Digitally signed by Akhilesh Mishra
Date: 25-02-2026 17:37:23

(अखिलेश मिश्रा)
उप सचिव।